आदेश	कार्यवाही विवरण
19/04/2021	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद तामील हाजिर नहीं, न्यायालय का समय पुरा होने तक बार बार आवाज लगाए जाने के बाद भी अप्रार्थी संख्या 1 हाजिर नहीं आए अतः इनके विरूद्ध एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस प्रार्थना पत्र मूल पर श्रवण की गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते है कि प्रार्थी का सही नाम दलीप कुमार है तथा महेशदान एवं दलीप कुमार दो अलग व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के दो नाम है। प्रार्थी के समस्त दस्तावेजात में सही नाम दलीप ही दर्ज है। उक्त विवेचन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतित होता है।

<u>निर्णय</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अ0 धारा 136 एल. आर. एक्ट स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम पौसाना पटवार हल्का पौसाना तहसील उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 1143/52, 27, 52 कुल किता 3 कुल रकबा 1.3550 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम महेशदान पुत्र चन्द्राराम के बजाय दलीप कुमार पुत्र चन्द्राराम दुरूस्त/शुद्ध किये जाने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तुर रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19/04/2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

(राजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

05/04/2021

पत्रावली पेश की। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी सरकार। बावजूद तामील हाजिर नहीं अतः इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। बहस पक्ष सुनी गई, तथा (?) पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस पर मनन करने के पश्चात पाते हैं कि प्रार्थी का सही नाम गिरधारीलाल सैनी पुत्र भोलाराम सैनी है तथा गिरधारी तथा गिरधारी लाल अलग-2 व्यक्ति नहीं होकर एक ही व्यक्ति के नाम है।

निर्णय

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा० प० 136 L.R.A स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम उदयपुरवाटी फ० व० उदयपुरवाटी की सरहद में स्थित भूमि खसरा 1516, 1517, 1519, 1520 के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम गिरधारी पुत्र भोलाराम के बजाय गिरधारीलाल सैनी पुत्र भोलाराम दुरुस्त/शुद्ध किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार उदयपुरवाटी राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्त करें। उक्त खसरा नम्बरान के शेष इन्द्राज बदस्तूर रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 05.04.2021 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली कोर्ट कम्प्यूटर नम्बर से खारिज हो व दाखिल दफ्तर हो।

(हस्ताक्षर)

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुं०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2021.09.14 16:22:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner